35

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 138–दो/2005 – विरूद्ध – आदेश दिनांक – 30–12–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 24/2002–03 अपील

1– रामेश्वर पुत्र बदले जाटव
ग्राम चैना तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश
2– श्रीमती बैजन्ती पुत्री बदले जाटव पत्नि रामलाल
ग्राम चैना तहसील जौरा जिला मुरैना
हाल निवासी ग्राम उमरिया तहसील अम्चाह जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सोनेराम पुत्र बदले जाटव निवासी ग्राम
चैना तहसील जौरा जिला मुरैना
2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक –1 के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक –2 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 6-9 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 24/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक बदलेराम के नाम ग्राम चैना में निम्नानुसार भूमि थी :–

ग्राम का नाम	भूमि सर्वे नंबर	रकबा
चैना	20	1 वीघा 9 विसवा
	51	1 वीघा 5 विसवा
	143	4 वीघा 16 विसवा
	29	4 वीघा 1 विसवा
	400	1 वीघा 13 विसवा
	464	2 वीघा 8 विसवा

खातेदार बदलेराम की मृत्यु उपरांत बसीयतनामे के आधार पर तहसीलदार जौरा ने प्रकरण कमांक 17/99-2000 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2000 से अनावेदक कमांक-1 सोनेराम का नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 59/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2000 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 24/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12. 2004 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मृतक सोनेराम के दो पुत्र आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 तथा एक पुत्री आवेदक क-2 हैं किन्तु तहसीलदार व्दारा विधिक वारिसान को सूचना दिये बिना एकपक्षीय तौर पर अनावेदक कमांक-1 का नामान्तरण गलत आधारों पर किया है। बसीयतनामा फर्जी एंव साजिसन है पिता व्दारा कोई बसीयत नहीं लिखी है और लिखी भी है तब भी पिता की संपत्ति में सभी पुत्र पुत्रियों का समान हक है । जब तहसीलदार ने आवेदकगण को व्यक्तिगत सूचना ही नहीं दी है तब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की अनुमति लेने का प्रश्न इसलिये नहीं है क्योंकि आवेदकगण मृतक खातेदार सोनेराम के विधिक वारिस हैं। साक्ष्य से बसीयतनामा

प्रमाणित नहीं है एंव एकपक्षीय साक्ष्य है आवेदकगण को मौका मिलना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि यह सही है रामेश्वर और सोनेराम सगे भाई है किन्तु रामेश्वर हिस्सा बटवारा कराकर पिता से 25 साल से अलग रह रहा है । मृतक बदलेराम अपने छोटे पुत्र के पास रहते आये हैं एंव उसने ही उनकी सेवा आदि की है जिसके कारण पिता व्दारा हिस्सा 1/4 की बसीयत की है। बसीयत रजिस्टर्ड है जिसके आधार पर तहसीलदार व्दारा किया गया नामान्तरण सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों में आये तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मृतक बदलेराम ने पंजीकृत बसीयत अपने छोटे पुत्र सोनेराम के पक्ष में लिखी है जिसके आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28-6-2000 से नामान्तरण किया हैं । प्रकरण में यह भी देखना है कि आवेदक रामेश्वर अपने पिता बदलेराम से मृत्यु के लगभग 25 वर्ष पूर्व से बटवारा कराकर अलग रहते आया है तब क्या पूर्व में हो चुके बटवारे अनुसार पिता को आजीविका चलाने हेतु दिये गये हिस्से की भूमि पर 25 वर्ष पूर्व अलग हुआ पुत्र पिता के सामिलाती पुत्र के साथ बराबर का हिस्सा पाने का पात्र है ? **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1856 की धारा 8 में व्यवस्था दी गई है कि :-**

पिता को बटवारा में प्राप्त संपत्ति का उत्तराधिकार - नरसिंह राव विरूद्व नरसिंहमन 1998 आई0एल0आर0 22 बाम्बे 101 एंव ए0आई0आर0 1980 मद्रास 33 में व्यवस्था दी गई है कि " जब पिता अलग संपत्ति छोड़कर मरता है और उसके ऐसे पुत्र हों, जिनमें से कुछ उसके साथ सामिल रहे हों ओर कुछ विभाजित हो गये रहे हों, तो पिता के साथ संयुक्त पुत्र पिता की स्वअर्जित

संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे जबकि विभाजित पुत्र उत्तराधिकार में प्राप्त करने से बंचित हो जायेंगे।''

विचाराधीन प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार स्थिति इसी प्रकार है कि जब आवेदक पिछले 25 वर्षो से पिता से अलग रह रहा है एंव अनावेदक क-1 पिता के साथ संयुक्त रूप से रहते आ रहा है, संयुक्त पुत्र पिता की संपत्ति प्राप्त करेगा, जबकि अनावेदक वादोक्त भूमि का पंजीकृत बसीयतग्रहीता है। जिसके कारण तहसीलदार व्दारा आदेश दिनॉक 28-6-2000 से अनावेदक के हित में किये गये नामांत्रण में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 24/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-2004 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 24/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-2004 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव निगरानी अमान्य की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर